बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: संकल्प ::

पटना– 15, दिनांक–

श्री कुमार मिथिलेश प्रसाद सिंह (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 1018/11, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर पटना के विरूद्ध कंकड़बाग पावर सब स्टेशन की सरकारी जमीन का गलत एवं अवैध रूप से लगान निर्धारण करने एवं गलत स्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में पत्रकार नगर थाना में प्राथमिकी सं0–319/2017 दर्ज की गयी है। श्री सिंह पर जानबूझ कर तथा गलत नियत से सरकार के साथ धोखाधड़ी करते हुए श्री देवेन्द्र कुमार के पक्ष में सरकारी जमीन का लगान निर्धारण करने संबंधी फर्जीवाड़ा तथा धोखाधड़ी का आरोप प्रतिवेदित किया गया है। उक्त के आलोक में आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 437 दिनांक 28.06.2017 द्वारा श्री सिंह के निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही आरम्भ किये जाने की अनुशंसा की गयी है।

2. श्री सिंह को उक्त आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–9(1)(क) एवं (ग) के प्रावधानों के तहत् तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया निर्धारित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–10(1) के तहत् अनुमान्य दर से जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(भीम प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2/आरोप–01–22/2017 –सा0प्र0– /पटना, दिनांक–

स्पीड पोस्ट

फैक्स

प्रतिलिपि :– वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, पटना को श्री सिंह पर प्रतिवेदित आरोप के संबंध में आरोप पत्र प्रपत्र–'क' (साक्ष्यों सहित) गठित कर विभाग को ससमय उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित/कोषागार पदाधिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, पटना/श्री कुमार मिथिलेश प्रसाद सिंह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1018/11, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–12, 14, चारित्री कोषांग एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2/आरोप–01–22/2017 –सा0प्र0– 9093 **/पटना, दिनांक–** 24.07.17

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/7/17
सरकार के संयुक्त सचिव।